प्रेस नोट दिनांक 15.11.2026

थाना जेठवारा , जनपद प्रतापगढ़

चोरी की घटनाओं में संलिप्त अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 5200 रुपया बकरी चोरी से सम्बन्धित हिस्सेदारी का माल बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 5200 रुपया बकरी चोरी से सम्बन्धित हिस्सेदारी का माल बरामद।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ एवं जनपद रायबरेली में चोरी, लूट, आयुध अधिनियम एवं मारपीट जैसे विभिन्न अपराधों से संबंधित लगभग 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 30/31.10.2026 की मध्य रात्रि में थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ऊदापुर में 03 बकरे एवं 01 बकरी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए। पीड़ित एवं ग्रामीणों द्वारा पशुओं की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान ग्राम चमरुपुर पठान के ग्रामीणों ने सफेद रंग की स्विफ्ट कार संख्या DL SCH 6615 में सवार 04 संदिग्ध व्यक्तियों को बकरी चोरी के प्रयास के दौरान पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर 03 व्यक्ति मौके से फरार हो गए तथा एक व्यक्ति कार सहित पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम दीपक गौड़ पुत्र श्यामलाल गौड़ निवासी ग्राम देल्हूपुर (रानीगंज कैथोला), थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ बताया। पूछताछ में उसके द्वारा अपने 03 अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम ऊदापुर से 03 बकरे एवं 01 बकरी चोरी करना स्वीकार किया गया तथा बताया गया कि चोरी किए गए पशुओं को जंगल में बांधकर रखा गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 323/26 धारा 303 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 पवन कुमार यादव मय हमराह का० शुभम कुमार गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 323/26 धारा 303 (2) बीएनएस थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त करन सरोज पुत्र राम आसरे उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम ऊछापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत पुलिस बूथ डेरवा चौकी के पास चाय की दुकान से करीब 200 मीटर आगे पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से बकरी चोरी की घटना में हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त ₹5,200/- बरामद किए गए। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने अपने साथियों 1.दीपक गौड़ पुत्र श्याम लाल गौड़ निवासी ग्राम देल्हूपुर रानीगंज कैथोला थाना लालगंज प्रतापगढ़ 2. सहबान उर्फ सब्बे उर्फ अरबाज पुत्र धम्मन उर्फ आसिक कुरैशी नि० ग्राम कुरैशी का पुरवा ननइया राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ 3. मो0 मोजीब उर्फ मुजीब पुत्र मोहर्रम निवासी ग्राम ननईया राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर ग्राम भीखमपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ से 05 बकरी व ग्राम ऊदापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ से 03 बकरी व ग्राम सरायभीमसेन जहानपुर थाना जेठवारा से 04 बकरी तथा ग्राम चमरूपुर पठान से 01 बकरी व ग्राम बलीपुर परसन थाना लीलापुर प्रतापगढ से 05 बकरी व जनपद के आस-पास भी पशुओ की चोरी करके बेच चुके है दिनांक 30/31.10.2026 की रात को मैं अपने साथियो के साथ ग्राम ऊदापुर में स्विफ्ट कार रंग सफेद जिसका नं0 DL5CH6615 से बकरी चोरी करते समय ऊदापुर ग्रामवासियो ने मेरे एक साथी दीपक गौंड उपरोक्त को पकडकर पुलिस के हवाले कर दिया था बाकी लोग मौके से भाग गये थे आज मैं बकरीयों की चोरी की रैकी करके लौट रहा था तभी आप लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण-
1. करन सरोज पुत्र राम आसरे उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम ऊछापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 0421/2020 धारा 379, 511 भादवि, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 0331/2020 धारा 379, 411 भादवि, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 0066/2023 धारा 25 आयुध अधिनियम, 411 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 0084/2024 धारा 25/3 आयुध अधिनियम, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 0210/2022 धारा 341, 392, 411 भादवि, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 0146/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 0190/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0 0231/2021 धारा 379, 411 भादवि, थाना जगतपुर, जनपद रायबरेली।
9. मु0अ0सं0 323/26 धारा 303 (2) बीएनएस थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-
अभियुक्त के कब्जे से 5200 रुपया बकरी चोरी से सम्बन्धित हिस्सेदारी का माल बरामद किया गया।

पुलिस टीम-
उ0नि0 पवन कुमार यादव मय हमराह का० शुभम कुमार गौड़ थाना जेठवारा , जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त चांद बाबू को गिरफ्तार कर अपहृता सकुशल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.11.2026 को वादी निवासी ग्राम भेभौरा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ की पुत्री को चन्दू पुत्र पप्पू निवासी गोपीगंज, बनारस द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया गया है। वादी के अनुसार, उक्त घटना में आरोपी की बहन एवं बहनोई की भी मिलीभगत है, जो गांधी नगर, मुम्बई में रहते हैं। इस संबंध में थाना लालगंज में अन्तर्गत धारा 137(2)/87 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 रामनरेश, उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह अनामिका का० पवन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त चांद बाबू उर्फ चंदू पुत्र अब्दुला निवासी ग्राम काशीपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही उम्र 23 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत सीएचसी अस्पताल लालगंज के सामने रोड के पास गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. चांद बाबू उर्फ चंदू पुत्र अब्दुला निवासी ग्राम काशीपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही उम्र 23 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रामनरेश, उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह अनामिका का० पवन यादव , थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना अन्तू पुलिस द्वारा 08.4 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए (MDMA) के साथ 01 अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ नान्हू गिरफ्तार, बिक्री के ₹11,800/- नकद, 01 अदद आईफोन एवं बिना नम्बर प्लेट की हुंडई क्रेटा कार बरामद।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा अभियुक्त को शुकुलपुर चौराहे के पास से बिना नम्बर प्लेट की हुंडई क्रेटा कार सहित गिरफ्तार किया गया।

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री करने वाले अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध बिक्री में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्र के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी अन्तू श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन यादव (चौकी प्रभारी गड़वारा) मय हमराह आरक्षी लोकेंद्र सिंह एवं आरक्षी संदीप यादव द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि प्रतापगढ़ की तरफ से बिना नम्बर प्लेट की हुंडई क्रेटा कार में एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए लेकर आ रहा है। सूचना पर चौकी प्रभारी एआरटीओ उ0नि0 श्री विजय त्रिवेदी मय हमराह आरक्षी पवन मौर्य को मौके पर बुलाया गया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर शुकुलपुर चौराहे के पास उक्त कार को रोककर चालक को पकड़ लिया गया।

पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अब्दुल रहमान उर्फ नान्हू पुत्र कलीमउल्ला निवासी ग्राम आममऊ ककहरा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष बताया। अभियुक्त के कब्जे से 08.4 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए (MDMA) तथा जेब से बिक्री के ₹11,800/- नकद एवं 01 अदद आईफोन बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के कब्जे से बिना नम्बर प्लेट की 01 अदद हुंडई क्रेटा कार बरामद की गई, जिसे धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।
बरामदगी के आधार पर थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 288/2026 धारा 22(b) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ नान्हू ने बताया कि वह एमडीएमए नशीला पदार्थ पट्टी क्षेत्र, जनपद प्रतापगढ़ से खरीदकर लाता है। पट्टी क्षेत्र में एक निश्चित स्थान पर एमडीएमए रखा मिलता है, जहां वह बिना किसी व्यक्ति से सीधे संपर्क किए उस स्थान पर रुपये रखकर उसके बदले एमडीएमए प्राप्त कर लेता है। उसे यह जानकारी नहीं है कि उक्त स्थान पर एमडीएमए किस व्यक्ति द्वारा रखा जाता है। अभियुक्त ने बताया कि वह एमडीएमए नशीले पदार्थ की बिक्री कर अपना जीविकोपार्जन एवं शौक पूरा करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अब्दुल रहमान उर्फ नान्हू पुत्र कलीमउल्ला निवासी ग्राम आममऊ ककहरा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष।
बरामदगी का विवरण-
08.4 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए (MDMA)।
₹11,800/- नकद (बिक्री के रुपये)।
01 अदद आईफोन।
01 अदद हुंडई क्रेटा कार, रंग काला (बिना नम्बर प्लेट)।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सचिन यादव (चौकी प्रभारी गड़वारा) व उ0नि0 विजय त्रिवेदी (चौकी प्रभारी एआरटीओ) मय हमराह आरक्षी लोकेंद्र सिंह , आरक्षी संदीप यादव , आरक्षी पवन मौर्य थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोग में 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट से जारी गैर जमानतीय वारंट (NBW) के अनुपालन में 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 15.11.2026 को उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह का0 जयंत कुशवाहा द्वारा क्षेत्र में चेकिंग एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर कपासी चौराहे से अभियुक्त दिलीप कुमार वर्मा पुत्र रामचरन वर्मा निवासी ग्राम गाजीपुर उमरी, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त धारा 354बी, 504, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. दिलीप कुमार वर्मा पुत्र रामचरन वर्मा निवासी ग्राम गाजीपुर उमरी, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रज्जन राव का0 जयंत कुशवाहा थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।